

श्री स्वयं
 19/11/09
 (50)

निदेशक
 अधिष्ठाता एवं सेवायोजन,
 इलाहाबाद प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में
 प्रधानाचार्य/प्रभु
 लखनऊ ओपे प्रो संस्था
 लखनऊ

पत्रांक: 1305/टी-3/सोपरो/भाओसं0संस्तुति लखनऊ दिनांक: 3/11 अक्टूबर 2009
 विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मिली ओपेरो केन्द्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महानिदेशालय सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, डीजीओई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ- उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05-7-09 पर दिनांक 30-7-09 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्हरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजीओई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Steno (Hindi) one unit	one unit	one unit	SC/PA-57.09 w.e.f. Aug-2009
2-	Cutting and sewing one unit	one unit	one unit	2009

D/E/T-6/24/10/2009 - T.C. Dated: 30.7.09

- प्रयोग किये गये संकेत:-
- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
 - (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
 - (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
 - (4) यू0सी0-विचाराधीन
 - (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
 - (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

3. आपसे अपेक्षा कि जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयावधिगत करके अपनी आख्य बिंदुवार सहाय सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाहि कि जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगाभी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,
 (राहुल देव)